Form –I

(for linear Projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Hanumangarh

No.......... 5513

Date...27/10/13...............

To whom so ever it may concern

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on the submission of the evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.38** hector of forest land proposed to be diverted in favour of **Krishi Upaj Mandi, Rawatsar** for the construction of **M/L Road Dhani Raikan to Dhani Rannasar** in Hanumangarh district falls within jurisdiction of village Sirangsar, tehsil Nohar.

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.38 hectar of the forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 respectively.

(b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: as above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE. 1

कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

क्रमांक / राजस्व / 5513 दिनांक : 27/10/17

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 27/10/2017 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक / 11.09 / 98–एफसी दिनांक 03.08.09 में दिये गये निर्देशानुसार जिला हनुमानगढ़ की तहसील नोहर के ग्राम सिरंगसर (ढाणी रायकान) 0.38 हैक्टयर वन भूमि के मिसिंग लिंक सडक निर्माण ढाणी रायकान से ढाणी राणासर तक सडक हेतु वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले परिक्षेत्र 0.38 हैक्टेयर वन भूमि के लिए व्यपर्वतन (Diversion) किये जाने के संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति हनुमानगढ़ की बैठक आयोजित कर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त कुल 0.38 हैक्टेयर वन भूमि का नियमानुसार सक्षम स्तर से व्यपर्वतन (Diversion) की जाती है तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। उक्त परिक्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत व्यपर्वतन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रियां पूर्ण की जा चुकी है। अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि उपरोक्त परियोजना में व्यपर्वतन (Diversion) हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 0.38 हैक्टेयर वन भूमि पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नहीं है। अधिनियम की धारा 3 (1)(e) के अनुसार यदि जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

ग्राम स्तरीय व उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक कार्यवाही विवरण की प्रतियां संलग्न कर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र पृथक से जारी किया जावे।

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 26.10.2017 को उपखण्ड कार्यालय नोहर (हनुमानगढ) में वन अधिकार अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया गया जिनमें निम्नाकिंत अधिकारी उपस्थित हुऐ।

श्री सैयद शीराज अली जैदी	उपखण्ड अधिकारी नोहर	अध्यक्ष
श्री गोपीराम महला	विकास अधिकारी नोहर	सदस्य
श्री जय कौशिक	तहसीलदार नोहर	सदस्य
श्री रामरिख फूलवा	क्षैत्रिय वन अधिकारी नोहर	सदस्य
श्री सुभाष चन्द्र सहारण	सचिव कृ.उ.म.स. रावतसर	सदस्य
श्री अमरसिंह पूनिया	प्रधान पंचायत समिति नोहर	विशेष आमंत्रित सदस्य

(कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर)

मिसिंग लिंक सड़क निमार्ण ढाणी रायकान से ढाणी राणासर तक निर्माण हेतु 0.38 है0 वन भूमि (वन भूमि का क्षेत्र) आती है। उक्त वन भूमि मे कोई पेड़ नही है सूखी घास व सुखी छोटी–छोटी झाड़ीयां है व सड़क निर्माण से ग्रामीणों को कोई अवरोध उत्पन्न नही होता है ।

कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर मे वन भूमि प्रत्यावर्तन में प्रस्तावित भूमि वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित निमय 2012 के अनतर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नही किया गया है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवास नही है न ही कोई आवासीय क्षेत्र सामान्य/ अनुसुचित जनजाति एवं परम्परागत निवासी क्षेत्र प्रभावित करता है। उक्त प्रावधानों के सबंध में विकास अधिकारी नोहर , क्षेत्रिय वन अधिकारी नोहर एवं तहसीलदार नोहर से प्राप्त अभिशंसा रिर्पोट संलग्न है।

श्री जय कौशिक तहसीलदार नोहर	श्री गोपीराम महला 26.10.17 विकास अधिकारी नोहर	श्री सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर अध्यक्ष 26.10.17
श्री रामरिख फूलवा क्षैत्रिय वन अधिकारी नोहर	श्री सुभाष चन्द्र सहारण 26/10/17 सचिव कृ.उ.म.स. रावतसर	श्री अमरसिंह पूनिया प्रधान पंचायत समिति नोहर

प्रपत्र संख्या 24 (देखिये नियम 164)

पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय उप समिति सिरंगसर पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ़ वर्ष 2016-17

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच/सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों के नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
26-01-17	अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिरंगसर	श्रीमान रतीराम पारीक सरपंच ग्राम पंचायत सिरंगसर रतीराम		आज दिनांक 26-01-2017 को अटल सेवाकेन्द्र सिरंगसर पर भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक D.O. No 66332/2017 E CEO/NITI दिनांक 11-01-2017 एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ के पत्रांक ZPH/पंचायत शाखा 2016-17/7401 से 7407 दिनांक 17-01-2017 की अनुपालना एवं श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर के आदेश क्रमांक :- 8031 दिनांक 23-01-2017 पालनानुसार एवं निर्देशानुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन सरपंच श्रीमान रतीराम पारीक की अध्यक्षता में प्रातः 11 बजे रखा गया। कोरम पूर्ण होने पर बैठक कार्यवाही आरम्भ की गई।	[illegible]
				बैठक के दौरान विगत बैठक का वाचन एवं अनुमोदन किया गया।	[illegible]

प्रपत्र संख्या 24 (देखिये नियम 164)

पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय उप समिति .... पंचायत समिति .... जिला .... वर्ष

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच/सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों के नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
				इसकी भूमि दानी राईकान के पास वन भूमि से होकर गुजरता है इसलिए वन भूमि होने के कारण निर्माण कार्य करवाने में कठिनाई हो रही है इसलिए उपस्थित सभा ने प्रस्ताव पारित किया कि 0.3१ H भूमि वन विभाग से मिलना उचित है इसका प्रस्ताव बनाकर भिजवाया जावे ताकि भूमि प्राप्त हो सके एवं मिसिंग लिंक रोड़ का कार्य करवाया जा सके प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।	रामस्वरूप लिच्छूराम रामधन

28 साँव चबूतरा नि॰ सिरंगसर

29 प्रशासनिक व्यय
30 रु॰ नि॰ हरिराम करेला से कान्मी राईका ढाणी
31 रु॰ नि॰ भवराराम के घर से महावीर मरेरिया ढाणी
32 रु॰ नि॰ माघाराम के घर से हरि करेला के घर तक ढाणी
33 रु॰ नि॰ रामूराम राईका के घर से गोस्वामी श्मशान
34 रु॰ नि॰ तिलोकाराम के घर से अर्जुन राम जाखड़ के घर तक ढाणी राईकान
उपरोक्त सभी प्रस्तावों का ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं जी॰पी॰डी॰पी॰ ग्रा॰ प॰ सिरंगसर की 2017-18 में शामिल किए जाने आवश्यक है

प्रस्ताव रु॰ 25 उपस्थित ग्राम सभा में सभी लोगों ने प्रस्ताव रखा कि ढाणी राईकान से ढाणी राणासर के बीच जो मिसिंग लिंक रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है इसके लिए वन विभाग से 0.38 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है इस पर ग्राम ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोगों ने विचार विमर्श किया कि ढाणी राणासर से ढाणी राईकान के बीच जो जो मिसिंग लिंक रोड का निर्माण करवाया जा रहा है

नरेन्द्र
भवरलाल
भवराराम
रामप्रताप
Amar
सुभाष
नरसिंह
भारत